न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), आजमगढ़।

UPAZ010055492026

Bail Application/2381/2026

1– सलाहुद्दीन उम्र करीब 42 साल पुत्र गुफरान अहमद, साकिन मोहल्ला हैदराबाद , थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़। ---- आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ---- **विपक्षी।**

मु०अ०सं०–65/2019

धारा– 138 विद्युत अधिनियम,

थाना–मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ ।

दिनांक–09.06.2026

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त मु० इस्माइल की तरफ से उपरोक्त प्रकरण में जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित तथ्यों के समर्थन में बेलाल अहमद का शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें सशपथ बयान किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, जिसमें उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्य सही व सच हैं। कोई बात झूठ नहीं है और न ही छिपायी गयी है।

3– संक्षेप कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजू कुमार अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र मुबारकपुर मय अभियन्ता टीम के साथ दिनांक 28.02.2019 समय 14.25 से 15.40 बजे पुरा खिजिर, मुबारकपुर में विद्युत बकाये पर काटे गये संयोजनों की पुनः जाँच करने पर अन्य अभियुक्तगण अबरार अहमद, रेयासुद्दीन, जफरुल हसन, मो० अली, मु० इस्माइल, डा० खालिद, जमाल हाशिम आदि के साथ–साथ अभियुक्त सलाहुद्दीन को, बकाया 57374.00/– रुपये विद्युत बिल को बिना जमा किये व बिना अनुमति विभाग, पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः जोड़कर विद्युत का उपभोग करते हुए पाया गया।

4– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है, प्रार्थी के पास वैध विद्युत कनेक्सन था, प्रार्थी ने कभी भी विद्युत चोरी नही की है, प्रार्थी मोहल्ले की गोलबन्दी के कारण विरोधियों ने वादी मुकदमा से मिलकर रंजिशवश मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी की कनेक्शन सं० 1105882000 में जो भी बकाया दिखाया गया था उसको दिनांक 26.12.2025 व दिनांक 30.10.2024 व 23.01.2025 को और उसके बाद भी शारा बिल बकाया समय–समय पर अदा करता रहा है किसी प्रकार से कोई विद्युत चोरी नही किया गया है। श्रीमान् के समक्ष उपरोक्त सभी जमा रसीद प्रार्थी अभियुक्त प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी/ अभियुक्त सम्मानित नागरिक तथा स्थायी निवासी है। उसके फरार होने अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नही है। अभियुक्त पूर्व में किसी भी प्रकार को कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/ अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विचारण में पूर्ण सहयोग करने को तैयार है, वह जमानत

Digitally signed by DINESH KUMAR
Date: 2026.06.09 13:39:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पर छुटने के जमानत का दुरूपयोग नही करेगा, श्रीमान् के द्वारा लगायी गयी शर्तों का पालन करेगा, तथा उस्थिति के सम्बन्ध में कोई चूक नही करेगा। अतः अभियुक्त जमानत पर अवमुक्त किये जाने योग्य।

5– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (विद्युत विभाग) द्वारा अभियुक्त की जमानत आवेदन पत्र पर प्रबल विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। उसे बकाया विद्युत बिल की अदायगी न करने व उसके द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को जोड़कर पुन विद्युत का उपयोग चोरी से करते हुए पाया गया है। अतः अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।।

6 मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विद्युत विभाग की बहस सुना एवं केस डायरी का अवलोकन किया ।

7– अभियुक्त/आवेदक सलाहुद्दीन पर बकाया विद्युत बिल की अदायगी न करने के कारण पूर्व में विच्छेदित किये गये संयोजन को पुनः जोड़कर विद्युत चोरी करने का अभियोग लगाया गया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी जनता का साक्षी नहीं है। अपराध शमनीय प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितयों में अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/आवेदक **सलाहुद्दीन** की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मुब० 20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंध पत्र तथा उसी धनराशि की दो प्रतिभू व निम्न आशय की अण्डर टेकिंग दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय।

(i) आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य से छेड़–छाड़ नही करेगा।

(ii) दौरान विचारण अभियोजन साक्षीगण को भयभीत व प्रभावित नही करेगा।

(iii) न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

(iv) आवेदक/अभियुक्त सम्बन्धित मुकदमें में आरोप विरचन, बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अभिलिखित किये जाने तथा बहस हेतु नियत तिथियों पर अथवा न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा। आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में परीक्षण न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

<u>दिनांक 09.06.2026</u>

प्रभारी
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट),
जनपद आजमगढ़।